बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं0सं0–1/छात्रवृत्ति–रा0यो0–प्री–मैट्रिक–06/2010–54

प्रेषक,

रवि परमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 26-11-12

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कुल ₹58084.64 लाख (पाँच अरब अस्सी करोड़ चौरासी लाख चौसठ हजार रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति।**

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति मद में कुल **₹58084.64 लाख (पाँच अरब अस्सी करोड़ चौरासी लाख चौसठ हजार रूपये)** मात्र का बजट उपबंध किया गया है। तद्नुसार उक्त बजट उपबंध के आलोक में कुल राशि **₹58084.64 लाख (पाँच अरब अस्सी करोड़ चौरासी लाख चौसठ हजार रूपये) मात्र** की संलग्न विवरणी के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उक्त संपूर्ण राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के राज्य योजना माँग संख्या–11 के अंतर्गत आय–व्ययक शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण के निम्नलिखित लघु/उपशीर्ष में भारित होंगेः–

(क) 197–ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता–0101–छात्रवृत्ति/वजीफा कूट संख्या–3401 विपत्र कोड–P2225031970101 राज्य योजना स्कीम कोड, BCW–5460

(ख) 198–ग्राम पंचायतों को सहायता–0101 छात्रवृत्ति/वजीफा कूट संख्या–3401 विपत्र कोड–P2225031980101 राज्य योजना स्कीम कोड, BCW–5460

(ग) 277–शिक्षा–0101–शिक्षा कूट संख्या–3401 विपत्र कोड P2225032770101 राज्य योजना स्कीम कोड, स्कीम कोड, BCW–5461

3– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगें। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगें।

4– संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

5– संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगें।

6– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। किसी जिले में उक्त स्वीकृत राशि के व्यय होने की संभावना नहीं होने पर फरवरी, 2013 में अवशेष राशि विभाग को निश्चित रूप से प्रत्यर्पित कर दी जाय। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी ही की जाय, जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक–31.03.2013 तक हो सकें एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्रापट/बैंक खाता/नकद के रूप में नहीं रखा जाय।

7– विद्यालय छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण विभागीय संकल्प संख्या–53 दिनांक–12.11.2012 के आलोक में किया जायेगा।

8– प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9– सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

10– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार,

23/11/12
(रवि-परमार)
सरकार के सचिव।

Letter of Princ.Secy.(Harry)

ज्ञापांक–1/छात्रवृत्ति–रा0यो0–प्री–मैट्रिक–06/2010 54 पटना–15, दिनांक– 26-11-12

प्रतिलिपि– विवरणी सहित वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण/सभ जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/11/12

सरकार के सचिव।